न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 29 सन 2021

अनवान :–

1. राजेराम पुत्र रामस्वरूप जाति जांगिड निवासी सोनडी तहसील नोहर।

सायल

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मोहरूराम जाति जांगिड निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा
5. उप पंजीयक भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिह बैनीवाल अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 14/9/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायल की सयुक्त खाता की दादालाई खातेदारी भूमि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 503/485 की कुल 24.1790हैक में से 6044/24179 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 एमएसआर के खाता संख्या 67/107 की कुल 12.6500हैक में से रामस्वरूप के नाम 1/42 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल की दादालाई भूमि एवं सायल के दादा की मृत्यू के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले रामस्वरूप के नाम से दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि में सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्मजात हक हिस्सा है रामस्वरूप की एक लडकी का देहान्त हो चुका है जिनके वारिस दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है का भी रामस्वरूप के साथ बाई बर्थ राईट हक हिस्सा है जो न्यायालय से धोषणा करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 कर्ता खानदान होने के कारण समस्त भूमि अकेले के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिससे उत्साहित होकर सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करने की नियत से समस्त भूमि बिना जायज जरूरत फरोख्त करने की ऐलानिया धमकी देता है यदि ऐसा हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 503/485 की कुल 24.1790हैक में से 6044/24179 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 एमएसआर के खाता संख्या 67/107 की कुल 12.6500हैक में से रामस्वरूप के नाम 1/42 हिस्सा को रहन बेय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल ना करे।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 503/485 की कुल 24.1790हैक में से 6044/24179 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 एमएसआर के खाता संख्या 67/107 की कुल 12.6500हैक में से रामस्वरूप के नाम 1/42 हिस्सा भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के कथनो को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का टिनेन्ट नही है ना ही सायल का वाद भूमि में कब्जा है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है वादग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है इसलिये गैरसायल के जीवनकाल में सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है तथा चक 6 एमएसआर की भूमि के सम्बध में सायल का इस न्यायालय में वाद /प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है इस चक में गैरसायल संख्या 1 के नाम 1 बीधा भूमि आती है जो स्वअर्जित भूमि है जो राजीनामा में अपने भाईयो को दी हुई है सायल ने गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा सायल ने पहले भी अपने भाई नागेराम की तरफ से दावा प्रस्तुत कर रखा है गैरसायल को परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र/वाद पेश किया गया है सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है वास्तविकता को छुपाते हुए दावा /प्रार्थना पत्र पेश किये गये है जो खारिज योग्य है।

गैरसायल का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायल व गैरसायल की सयुक्त खाता की दादालाई खातेदारी भूमि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 503/485 की कुल 24.1790हैक में से 6044/24179 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 एमएसआर के खाता संख्या 67/107 की कुल 12.6500हैक में से रामस्वरूप के नाम 1/42 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल की दादालाई भूमि एवं सायल के दादा की मृत्यू के बाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण अकेले रामस्वरूप के नाम से दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि में सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का जन्मजात हक हिस्सा है रामस्वरूप की एक लडकी का देहान्त हो चुका है जिनके वारिस दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 4 ,5 है का भी रामस्वरूप के साथ बाई बर्थ राईट हक हिस्सा है जो न्यायालय से धोषणा करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 1 कर्ता खानदान होने के कारण समस्त भूमि अकेले के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिससे उत्साहित होकर सायल को उसके हक व हिस्सा से महरूम करने की नियत से समस्त भूमि बिना जायज जरूरत फरोख्त करने की ऐलानिया धमकी देता है यदि ऐसा हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायल गैरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 503/485 की कुल 24.1790हैक में से 6044/24179 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 एमएसआर के खाता संख्या 67/107 की कुल 12.6500हैक में से रामस्वरूप के नाम 1/42 हिस्सा को रहन बेय या अन्य प्रकार से मुन्तकिल ना करे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल वाद भूमि में किसी प्रकार का टिनेन्ट नही है ना ही सायल का वाद भूमि में कब्जा है कब्जा के अभाव में प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है वादग्रस्त भूमि गैरसायल संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है इसलिये गैरसायल के जीवनकाल में सायल किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने का अधिकारी नही है तथा चक 6 एमएसआर की भूमि के सम्बध में सायल का इस न्यायालय में वाद /प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नही है इस चक में गैरसायल संख्या 1 के नाम 1 बीधा भूमि आती है जो स्वअर्जित भूमि है जो राजीनामा में अपने भाईयो को दी हुई है सायल ने गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है गैरसायल रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है तथा सायल ने पहले भी अपने भाई नागेराम की तरफ से दावा प्रस्तुत कर रखा है गैरसायल को परेशान करने के लिये यह प्रार्थना पत्र/वाद पेश किया गया है सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है वास्तविकता को छुपाते हुए दावा /प्रार्थना पत्र पेश किये गये है जो खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

सायल के द्वारा प्रस्तुत वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम सयुक्त खाता में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा सायल के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी भू0 प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि पूर्व में सायल के दादा मोहरू के नाम से दर्ज थी इसीप्रकार रोही मौजा चक 6 एमएसआर की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार पूर्व में भूमि मोहरू एव मोहरू के देहान्त होने पर विरास्तन से गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हुई है वर्तमान में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होना एवं विरास्तन से भूमि गैरसायल के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में पाया जाता है।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र वाद में रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 503/485 की जमाबन्दी ऑन लाईन प्रमाणित प्रति है इसीप्रकार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 240 की जमाबन्दी भू0प्रबन्ध विभाग प्रस्तुत की गई है जो तहसीलदार नोहर से प्रमाणित है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किन्तु सायल के द्वारा रोही मौजा चक 6 एमएसआर के खाता संख्या 67/107 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है जो किसी भी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित नही है।

न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले वाद में जिस भूमि का अनुतोष चाहा जा रहा है कि सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति अथवा ऑनलाईन प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी आवश्यक है यदि किसी वाद में प्रमाणित दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये जाते है ऐसा वाद न्यायालय में संधारण योग्य नही होता है।

वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय यदि किसी कारण से प्रमाणित दस्तावेज पेश नही किये गये थे तो बहस के समय उक्त दस्तावेजात सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया जाना तथा उक्त तथ्य न्यायालय के ध्यान में लाना प्रार्थी का दायित्व था किन्तु हस्तगत प्रकरण में सायल ने अपने वाद एवं प्रार्थना पत्र में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित दस्तावेजात पेश नही किये ना ही न्यायायल के संज्ञान में लाया गया।

सायल ने वाद /प्रार्थना पत्र में केवल रोही मौजा सोनडी की प्रमाणित प्रति पेश की गई है रोही मौजा चक 6 एमएसआर की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति पेश नही की गई है सत्यप्रति के अभाव प्रार्थी न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उक्त विवेचन के अनुसार रोही मौजा चक 6 एमएसआर की प्रश्नगत भूमि के सम्बध में सायल किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है रोही मोजा चक सोनडी की प्रश्नगत भूमि के प्रमाणति दस्तावेजात होने के कारण सायला का प्रार्थना पत्र रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 503/485 की कुल 24.1790हैक में से 6044/24179 हिस्सा जो गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है में से सायल अपने हक हिस्सा को सुरक्षित रखने हेत गेरसायल न0 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा के खाता संख्या 503/485 की कुल 24.1790हैक में से 6044/24179 हिस्सा जो गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है में से सायल अपने हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाई रखी जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर(हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर